

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—::कार्यालय आदेश::—

निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सामने उल्लेखित नवीन पदस्थापन स्थान पर किया जाता है—

क्रं. सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
1	बलवन्त रॉय	Class IV	रागावि पाहुना	Chittorgarh	राउमावि 15 जेड (08010117701)	Ganganagar
2	ब्रजेश	Class IV	राउमावि डागरवाडा	Jaipur	राउमावि तगावली (08080328304)	Dholpur
3	अनुसईया	Class IV	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मण्डोर	Jodhpur	राउमावि अनुपगढ (08010947904)	SriGanganagar
4	मीरा देवी	Class IV	राआउमावि गुडामालानी	Barmer	राउमावि लालपुरा थानागाजी (0806100010)	Alwar
5	कोमल देवी	Class IV	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समदड़ी	Barmer	राउमावि केसरदेसर, जाटान (08030103001)	Bikaner
6	अजय कुमार लुनिवाल	Jr. Asst.	राउमावि डूंगा नांगल (पाटन)	Sikar	रामावि खेडकी वीरभान कोटपूतली (08120107401)	jaipur
7	मनीष जोशी	Jr. Asst.	राउमावि मावण्डा आरएस नीमकाथाना	Sikar	राउमावि परतापुर नीमराणा (08060208410)	Alwar
8	सन्तोष देवी	Jr. Asst.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	Karoli	राउमावि थानागाजी भुडिया वास (08061005201)	Alwar
9	आलोक कुमार देवतवाल	Jr. Asst.	राउगावि धोलखेड़ा	Dausa	राआउमावि धारसोनी वैर (08070706602)	Bharatpur
10	विजय कुमार गोडवाल	Jr. Asst.	रावाउमावि महरोली, श्रीमाधोपुर	Sikar	राउमावि किशोरपुरा फागी (08121107202)	Jaipur
11	हरिनारायण माली	Jr. Asst.	राआउमावि विलेण्डी पं.स. छीपावडोद	Baran	रावागावि बाधेरा टेकरी (08210802003)	Ajmer
12	दीपक कुमार	Sr. Asst	रामावि बुधवाडा	Jhalawar	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रैणी	Alwar
13	सम्पतराम सैनी	Sr. Asst	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रैणी	Alwar	राउमावि वैरीर रैणी (08061204601)	Alwar
14	चेतन यादव	Sr. Asst	राउमावि सारोला	Jhalawar	राउमावि आभानेरी, वांटीकुई (080110115102)	Dausa
15	मन्ना लाल बैरवा	Sr. Asst	राआउमावि जैतसीसर	Churu	सेठ हजारी लाल बिलाला जैन राउमावि दौलतपुरा, लालसोट (08110320002)	Dausa
16	अकुंश सैन	Sr. Asst	राउमावि भूति, तह. आहोर	Jalore	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयपुर पूर्व	Jaipur
17	सुनिल मोदी	Sr. Asst	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयपुर पूर्व	Jaipur	राउमावि आदर्श नगर (08122506020)	Jaipur
18	भगवान सहाय कुमावत	Sr. Asst	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धोरीमन्ना	Barmer	राउमावि आकोदा दूदू (08121021408)	Jaipur


(2)

लगातार पेज 02 पर...

19	मोहन गोयल	Sr. Asst	राजमावि बोरव	Chittorgarh	राजमावि निगोडिया चाकसू (08121315501)	Jaipur
20	हरभीत सिंह	Sr. Asst	राजमावि बछामदी नदवई	Bharatpur	राजमावि हरिपुरा गांजी (08300507303)	kota
21	गोवरीलाल	Sr. Asst	राजमावि हरिपुरा गांजी	kota	राजमावि नोनेरा, इटावा (08300110606)	kota

क्रं.सं. 13,17 एवं 21 के कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। समस्त संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों की अक्षरशः पालना करें :-

1. राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
3. प्रोवेशनरी ट्रेनी कार्मिक को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
4. माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
5. स्वेच्छा से अन्तर-मण्डल/अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिकों को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
7. टीएसपी से नॉन टीएसपी में यदि स्थानान्तरण हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।
8. पंचायतराज के कार्मिक का यदि स्थानान्तरण हो गया है तो उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/16 दिनांक :- 29-09-19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, स्वतंत्र प्रभार, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (समस्त)
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक (समस्त)
5. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग कार्या. हाजाको विभागीय बेबसाईट पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर